(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : निगरानी–शिवपुरी/भू0रा0/2018/634 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 20–11–2017 – पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 77/2016–17 निगरानी

1– राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व.शिवाजी राव भौसले
लाल कोठी, पोहरी रोड शिवपुरी
2– श्रीमती नम्रता पत्नि संजय यादव
पुत्री स्व.शिवाजी राव भौसले निवासी
डी–11 विजयनगर कालोनी आमखो कंपू
लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरूद्ध

1– पंकज अरोरा पुत्र राजकुमार अरोरा
2– विपिन अरोरा पुत्र राजकुमार अरोरा
ग्राम फतेहपुर जिला शिवपुरी

---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक के अभिभाषकश्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 18-10-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–11–2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक क्रमांक–2 ने तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि वह एंव आवेदक क्रमांक–1 भाई बहिन हैं उनके सामिलाती खाते की ग्राम फतहपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 236/1 मिन रकबा 0.156 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 239/2 क / 1 रकबा 0.187 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि

अंकित किया गया है) के आवेदक क्रमांक 2 एंव आवेदक क्रमांक 1 सहभूमिस्वामी एंव आधिपत्यधारी है इसलिये फर्द बटांकन बटवारा करके खसरा एंव नक्शा में बटा कायमी कर प्रथक प्रथक खाता कर दिया जावे। तहसीलदार शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 22 अ-27 /13-14 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 29-12-14 पारित करके वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। तहसीलदार शिवपुरी के आदेश दिनांक 29-12-14 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष आवेदक क्रमांक-1 ने अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 136/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-16 से तहसीलदार शिवपुरी का आदेश दिनांक 29-12-14 निरस्त कर दिया तथा स्वस्तर से हलका पटवारी से बटांकन सूची तैयार कराकर आवेदक क्रमांक 1 एंव आवेदक क्रमांक 2 की सहमति मानकर बटांकन प्रस्ताव किया । अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के आदेश दिनांक 31-5-16 के विरूद्व अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 77/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-11-2017 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो मे अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के आदेश दिनांक 31-5-16 के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय में एंव अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अनावेदकगण हितबद्व पक्षकार नहीं थे एंव वादित भूमि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था फिर अपर आयुक्त ने उन्हें हितबद्व पक्षकार मानकर अपील ग्रहण करने में त्रृटि की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने हितबद्व पक्षकारों के बीच हुये राजीनामा एंव सहमति पर आदेश पारित किया है सहमति के आदेश के विरूद्व अपील नहीं होती है इस पर अपर आयुक्त ने विचार नहीं किया हैं। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करने की मांग की।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के आदेश दिनांक 20-11-2017 को स्पीकिंग आर्डर होना एंव विधि में विहित प्रक्रिया के अनुरूप

होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के आदेश दिनांक 31-5-16 के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के समक्ष दिनांक 13-12-16 को अपील प्रस्तुत की है एंव विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन भी दिया है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ने आदेश दिनांक 20-11-2017 के पद 4 में अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन की विवेचना करते हुये अंकित किया है कि अपीलार्थी (इस न्यायालय के अनावेदक) वादग्रस्त भूमि से हितबद्व थे किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा हितबद्व पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना तथा साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रश्नाधीन भूमि का विभाजन तथा बटांकन आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को समय पर नहीं हो सकी। इन तथ्यों के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ने आदेश दिनांक 20-11-2017 के पद 4 में विस्तृत विवेचना करते हुये विलम्ब क्षमा किया है जिसमें किसी प्रकार की कमीवेशी नहीं है।

6/ आवेदकगण के अभिभाषक की आपत्ति है कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अनावेदकगण हितबद्व पक्षकार नहीं थे एंव वादित भूमि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था फिर अपर आयुक्त ने उन्हें हितबद्व पक्षकार मानकर अपील ग्रहण करने में त्रृटि की है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के समक्ष अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत अपील मेमो के साथ उन्हें हितबद्व पक्षकार मानकर अपील करने की अनुमति का आवेदन दिया है। अपर आयुक्त ग्वालियर ने आदेश दिनांक 20-11-2017 के पद 5 में विवेचना की है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 236 एंव 239 में से रकबा 0.815 है. अपीलार्थी व्दारा क्रय की जाकर राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज है फिर भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये अनावेदक व्दारा प्रस्तुत हितबद्व पक्षकार मानने हेतु प्रस्तुत आवेदन एंव अपील प्रस्तुत करने का अनुमति आवेदन अपर आयुक्त ने स्वीकार किया है जिसके कारण आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा उठाई गई यह आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

7/ अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 20-11-17 के पृष्ठ 5 के प्रथम पद में लिये गये निर्णय के अवलोकन से परिलक्षित है कि उनके व्दारा विवेचना कर निष्कर्ष दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी ने प्रथम अपीली न्यायालय होने के वाद भी सभी तथ्यों को नजरन्दाज कर दिया है , जबकि

अभिलेख में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सारे तथ्य मौजूद थे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश हितबद्ध पक्षकारों को सुने बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अवैध करार देते हुये निरस्त किया गया है तथा यही स्थिति तहसीलदार शिवपुरी के आदेश दिनांक 29-12-14 की पाये जाने से अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने दोनों अधीनस्थ न्यायलयों के आदेशों को त्रृटिपूर्ण पाकर निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति अथवा दोष नहीं है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 77/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-11-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर